

12/18

है/का पद रिक्त है पत्रावली नं०/आ.शानुसार  
दिनांक 9-2-18 को पेश हो

9/18

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब  
वकील उभयपक्ष उप०/पत्रावली नं०/आ.शानुसार  
18-3-18 को पेश हो

16/18

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब  
अन्व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/आ.शानुसार  
है/का पद रिक्त है। पत्रावली नं०/आ.शानुसार  
दिनांक 13-4-18 को पेश हो

13/18

उभयपक्ष उपस्थित। P.O. साहब  
अन्व प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है/आ.शानुसार  
है/का पद रिक्त है। पत्रावली नं०/आ.शानुसार  
दिनांक 6-7-18 को पेश हो

28/5/18

पत्रावली नं०/आ.शानुसार लोक अदालत कैम्प  
मिपलाई में प्रेश हुई वादीगण उप। मुद्रागमा  
पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रकरण  
कापी पुराना है न्यायाद्वि में प्रकरण निहारा  
किया जाय उचित है। अह. मैरीट के आधार  
पर दावा वादीगण रिकी किया जाय है निधि  
पुस्तक से लिखा जायक शामिल फाइल  
किया गया। पत्रावली फातल शुमाट होकर  
रम्बट से कम हो वद तकमील दाखिल  
करता ही

अप जिला कलक्टर  
वामनधाम (स० धा०)

# पूरा वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6-7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारी: रामकिशोर मीना, आर.ए.एस.

1. रुस्तम,
2. ईशाक
3. बाबूदीन
4. सब्बो खां
5. सरफुद्दीन खां एवं

सभी पुत्रगण नन्तू जाति तेली  
निवासी पिपलाई, तहसील बामनवास

6. विस्सो बेवा नन्तू, जाति तेली निवासी पिपलाई, तहसील बामनवास

वादीगण

बनाम

1. श्रीमती आनंदी देवी धर्मपत्नी श्रीया, जाति खटीक निवासी पिपलाई,
2. श्रीमती प्रेमदेवी धर्मपत्नी नाथू लाल, जाति खटीक निवासी पिपलाई,
3. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास प्रतिवादीगण

वाद पत्र बावत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती

एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 136/2004



वादीगण स्वयं उपस्थित, प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

इस वाद में आज दिनांक 28/5/2018 को मुझ पीठासीन अधिकारी रामकिशोर

मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर वादीगण का

वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आराजी हाल खसरा नम्बर 730 रकवा 27 एयर व 747 रकवा 15 एयर

उप जिला कलेक्टर  
बामनवास (स० मा०)

संलग्न नजरी नक्शा वाद बरंग लाल भाग का वादीगण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है, उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड संशोधित किया जावे व उक्त रकवा प्रतिवादीगण के खाते से कम किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि उक्त भूमि में वादीगण के उपयोग, उपभोग व प्रयोग में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा न करें ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक

१४/५/२०१८ को जारी की गई ।


*अप* जिला कलेक्टर

बांमनवास (म० प्र०)

(रामकिशोर मीना)

उप जिला कलेक्टर

बांमनवास



वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुकमनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुकमनामा	
		मुतफर्रिक	
योग		योग	